पत्रांक – 1/पी०एम०सी०/विविध/629/2003 पार्ट-1.....293...../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक – ई० सुमीर कुमार चटर्जी,
संयुक्त सचिव (अभियन्त्रण)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,
सभी मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक सहित),
जल संसाधन विभाग, बिहार

पटना, दिनांक –..27/3../2014

विषय – SBD आधारित ₹ 200.00 लाख से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए निविदित दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में ।

प्रसंग – पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना का पत्रांक-प्र०-6/द०बि०-नियम-03-08/2006 अंश 2046 (एस), पटना, दिनांक 06.03.2014 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छाया-प्रति संलग्न) द्वारा पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 9049 (एस) दिनांक 26.11.2013 (छाया-प्रति संलग्न) में संशोधन करते हुए प्रतिशत दर (In percentage rate tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र की दर (राशि) से 10 प्रतिशत कम तक निर्धारित किये जाने और 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदाएँ अमान्य माने जाने का निर्णय संसूचित है ।

अतएव प्रासंगिक पत्र में निहित प्रावधान के अनुपालन के क्रम में निदेशानुसार सूचित करना है कि जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत नये अनुसूचित दर का प्रकाशन होने तक ₹ 200.00 लाख से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए निविदा आमन्त्रण के पूर्व कार्य के परिमाण विपत्र की कुल लागत राशि से ओभरहेड चार्ज के रुप में अनुमान्यता के तहत 5 % (पाँच प्रतिशत) राशि घटाकर परिमाण विपत्र की राशि आकलित की जाय एवं तदनुसार निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जाय । इसके फलस्वरुप सम्वेदक को सम्पादित कार्य का भुगतान तैयार किये गये विपत्र के abstract of cost में अनुमान्य कटौतियाँ एवं सम्वेदक द्वारा उद्धृत प्रतिशत दर के सामंजन के उपरान्त 5 % (पाँच प्रतिशत) की राशि घटाकर सम्वेदक को भुगतेय राशि की गणना की जायेगी ।

SBD आधरित कार्यों के सम्बन्ध में इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत सभी विभागीय निदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएगें ।

उपर्युक्त निदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाय ।

अनुलग्नक – यथावत् ।

विश्वासभाजन
27/3/2014
(सुमीर कुमार चटर्जी)
संयुक्त सचिव (अभियन्त्रण)

213

12 MAR 2014

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक-प्र०-6/द०बि०-नियम-03-08/2006 (अंश)- 2046 (S) /पटना, दिनांक 6-3-14

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत
सचिव

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लघु एवं सिंचाई विभाग/नगर विकास विभाग

विषय :- निविदित दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार का पत्रांक-1/स्था०-10/2013-363 त०प०को० दिनांक-11.04.2013 द्वारा मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के पत्रांक-462 दिनांक-30.03.1982 के भाग-1/कंडिका-14 एवं पत्रांक-2347 दिनांक-31.12.1983 की कंडिका-6 (ग) को विलोपित किया गया तथा निविदित दर की अधिसीमा निर्धारित करने हेतु पथ निर्माण विभाग को अग्रेतर कार्रवाई किया जाना था।

2. उक्त परिपेक्ष्य में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-9049 (एस) अनु० दिनांक-26.11.2013 द्वारा *SBD* आधारित कार्यो के लिए प्रतिशत दर निविदा (*percentage rate tender*) पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत कम रहने पर निविदा का निष्पादन विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति से अनुमोदन (*Concurrence*) प्राप्त कर निविदा निष्पादन का निर्णय लिया गया था।

3. परिमाण विपत्र की राशि से निविदित दर 10 प्रतिशत के कम रहने पर निविदाओं के निष्पादन में उत्पन्न हो रही कठिनाईयाँ एवं निविदा की प्रक्रिया सभी कार्य विभागों में समरूप रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा पुनः समीक्षा की गई।

4. *समीक्षोपरांत प्रतिशत दर (inpercentage rate tender) पद्धिति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र की दर (राशि) से 10 प्रतिशत कम तक निर्धारित की जाती है। 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाले निविदाएं अमान्य मानी जायेगी।*

4.1 *उक्त प्रावधान सभी कार्य विभागों में समान रूप से लागू माना जायेगा।*

5. विभागीय पत्रांक-9049 (एस) दिनांक-26.11.2013 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन

6/3

(प्रत्यय अमृत)

12

(13)

ज्ञापांक–प्र०–6 / द०बि०–नियम–03–08 / 2006 (अंश)– 2046(S) / पटना, दिनांक 6-3-14

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक–प्र०–6 / द०बि०–नियम–03–08 / 2006 (अंश)– 2046(S) / पटना, दिनांक 6-3-14

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता (सभी उपभाग) पथ निर्माण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक–प्र०–6 / द०बि०–नियम–03–08 / 2006 (अंश)– 2046(S) / पटना, दिनांक 6-3-14

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को Soft copy की प्रति के साथ विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)

(190)